राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर – 302015 (राज.)
टेलीफोन नं. – 0141–2706830, 2941098 ई-मेल –rajscoutguide@yahoo.com

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

ई–बोली सूचना

भारत स्काउट व गाइड, राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली एवं राज्य मुख्यालय, जयपुर के तत्वावधान में ग्राम नीमली ब्राह्मणान, तहसील रोहट, जिला–पाली–306421 (राजस्थान) में स्थित दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर पर आयोजित होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जम्बूरी, दिनांक 04 से 10.01.2023 तक एवं जम्बूरी पूर्व तैयारी शिविरों/गतिविधियों में **प्री फेब्रीकेट अस्थाई शौचालय एवं स्नानघर (क्रय करने हेतु)** आपूर्ति व रखरखाव हेतु द्वि–प्रकर्मी बोली यथा तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड ई–बोली प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :–

1	**कार्य का विवरण/सन्दर्भ**	**प्री फेब्रीकेट अस्थाई शौचालय एवं स्नानघर (क्रय करने हेतु)**
2	अनुमानित लागत (रूपये में)	1,22,80,000/–
3	बोली शुल्क (रूपये में)	2,000/– (डिमाण्ड ड्राफ्ट)
4	बोली प्रतिभूति राशि–दो प्रतिशत (रूपये में)	2,45,600/– (डिमाण्ड ड्राफ्ट)
5	ई–बोली प्रक्रिया शुल्क (रूपये में)	1,000/– प्रति निविदा (डिमाण्ड ड्राफ्ट)
6	बोली दस्तावेज बिक्री की तिथि एवं समय	दिनांक **03.09.2022** समय प्रातः 11.00 बजे से
7	प्री–बिड बैठक की तिथि, समय व स्थान	दिनांक **19.09.2022** समय दोपहर 02.00 बजे राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर (राज.)
8	शुद्धिपत्र अपलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक **21.09.2022** समय सांय 06.00 बजे तक
9	प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज eproc साईट पर ऑनलाईन जमा कराने की अन्तिम तिथि एवं समय	दिनांक **22.09.2022** समय प्रातः 11.00 बजे से दिनांक **27.09.2022** समय दोपहर 01.00 बजे तक। बोली प्रस्तुत करने की विधि – (Online at eproc)
10	बोली शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं ई–बोली प्रक्रिया शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) के डीडी प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	दिनांक **27.09.2022** समय दोपहर 02.00 बजे तक
11	तकनीकी बिड खोले जाने की तिथि एवं समय	दिनांक **27.09.2022** को दोपहर 04.00 बजे
12	वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि एवं समय	तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं को वित्तीय बिड खोलने के सम्बन्ध में सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी।
13	निविदा प्रपत्र डाउनलोड़ किये जाने हेतु वेबसाईट	http://eproc.rajasthan.gov.in http://sppp.rajasthan.gov.in http://rajscoutguide.org
14	अनुबन्ध अवधि	वित्तीय वर्ष 2022–23 (31 मार्च, 2023 तक) लॉकडाउन की स्थिति में तत्समय जारी निर्देश प्रभावी होंगे।

दिनांक : ....

राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर – 302015 (राज.)
टेलीफोन नं. – 0141–2706830, 2941098 ई-मेल –rajscoutguide@yahoo.com

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

–:: निविदा प्रपत्र – अ (तकनीकी निविदा) ::–

1. भारत स्काउट व गाइड, राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली एवं राज्य मुख्यालय, जयपुर के तत्वावधान में ग्राम नीमली ब्राह्मणान, तहसील रोहट, जिला–पाली – 306421 (राजस्थान) में स्थित दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर पर आयोजित होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जम्बूरी एवं जम्बूरी पूर्व तैयारी शिविरों/गतिविधियों में **प्री फेब्रीकेट अस्थाई शौचालय एवं स्नानघर (क्रय करने हेतु)** आपूर्ति व रखरखाव हेतु निविदा :–
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म के मालिक का नाम ....
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम ....
4. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता ....
....
....
मोबाइल नम्बर .... दूरभाष नम्बर .... ई–मेल ....
5. निविदा जिसे सम्बोधित की जानी है–राज्य सचिव, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर (राज.) 302015
6. संदर्भ – निविदा सूचना क्रमांक .... जयपुर, दिनांक ....
7. मैं/हम राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय, जयपुर के द्वारा जारी की गई संदर्भित निविदा में वर्णित समस्त शर्तों, अतिरिक्त शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है तथा उक्त निविदा की अन्य शर्तें जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है, जिनके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं, (निविदादाता प्रत्येक पृष्ठ पर मय मोहर के हस्ताक्षर करें) का भी पालन करने के लिए सहमत एवं बाध्य होना साथ ही राज्य सरकार के उपापन सम्बन्धी अधिनियम/नियम आदेश से आबद्ध होना स्वीकार करते हैं।
8. संदर्भित निविदा कार्य हेतु दरें **समस्त करों** सहित हैं।
9. तकनीकी निविदा/वित्तीय निविदा ई–बोली प्रक्रिया के अन्तर्गत विधिवत् ऑनलाईन प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।
10. संलग्न वर्णित दरें दिनांक 31.03.2023 तक अथवा विशेष परिस्थिति में जम्बूरी की तिथियों में परिवर्तन होने पर जम्बूरी अवधि तक, जो भी बाद में हो; विधिमान्य रहेगी। इससे आगे अवधि पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाई जा सकती है।
11. बोली शुल्क राशि रू. 2,000/– डी.डी. न. .... दिनांक .... बैंक का नाम ....
12. बोली प्रतिभूति राशि रू. 2,45,600/– डी.डी. न. .... दिनांक .... बैंक का नाम ....
13. ई–बोली प्रक्रिया शुल्क राशि रू. 1,000/– डी.डी. न. .... दिनांक .... बैंक का नाम ....
14. फर्म का रजिस्ट्रेशन नम्बर (छांयाप्रति संलग्न करें) ....
15. आयकर पैन नम्बर (छांयाप्रति संलग्न करें) ....
16. जी.एस.टी.आई.एन. पंजीयन क्रमांक (छांयाप्रति संलग्न करें) ....
17. बिडर के बैंक खाते का विवरण (निरस्त चैक/पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें)
18. विनिर्माता/वास्तविक डीलर/अधिकृत विक्रेता आदि का घोषणा प्रपत्र राशि रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर संलग्न है।
19. निविदा से सम्बन्धित अनुभव प्रमाण–पत्रों (कार्यानुभव) की छांयाप्रति संलग्न है।

राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

20. टर्नओवर विगत तीन वर्षों का (छांयाप्रति संलग्न करें)

- 2019–20 : ....
- 2020–21 : ....
- 2021–22 : ....

21. अन्तिम त्रैमास (अप्रेल, 2022 से जून, 2022 तक) की जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति (GSTR-1/GSTR-3B/Other)

(नोट – कृपया संलग्न अनुलग्नक – एफ (चैक लिस्ट) की समस्त पूर्ति कर निविदा प्रस्तुत करें।)

स्थान : ....

दिनांक : ....

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

फर्म का नाम ....

फर्म के पत्र व्यवहार का पूरा पता ....

....

....

टेलीफोन नम्बर ....

मोबाईल नम्बर ....

Pepein
राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर – 302015 (राज.)
टेलीफोन नं. – 0141–2706830, 2941098 ई-मेल –rajscoutguide@yahoo.com

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

भारत स्काउट व गाइड, राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली एवं राज्य मुख्यालय, जयपुर के तत्वावधान में ग्राम नीमली ब्राह्मणान, तहसील रोहट, जिला–पाली – 306421 (राजस्थान) में स्थित दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर पर आयोजित होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जम्बूरी एवं जम्बूरी पूर्व तैयारी शिविरों/गतिविधियों में **प्री फेब्रीकेट अस्थाई शौचालय एवं स्नानघर (क्रय करने हेतु) आपूर्ति व रखरखाव** हेतु निविदा के उपनियम एवं शर्तें :–

निविदादाता को निविदा देते समय इन शर्तों को अत्यन्त ध्यानपूर्वक पढना चाहिए क्योंकि इन शर्तों का निविदादाता द्वारा पालन करना अत्यावश्यक होगा :–

1. इस बोली में भाग लेने हेतु वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर द्वि–भाग बोली सम्बन्धी निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए, वेबसाइट पर उपलब्ध इलैक्ट्रोनिक फॉरमेट के माध्यम से ही ऑनलाईन सम्बन्धित अभिलेख अपलोड एवं बोली दर प्रस्तावित की जा सकेंगी। भौतिक रूप से प्रस्तुत बोली विचारणीय नहीं होगी।
2. ई–बोली प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश :–
   - (अ) इस कार्य में रूचि रखने वाले एवं बोली में भाग लेने हेतु समान प्रकृति के कार्य करने वाले अनुभवी व इच्छुक पंजीकृत फर्मों/कम्पनी को वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन बोली में भाग लेने के लिए डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC), इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के तहत प्राप्त करना आवश्यक होगा, जो इलेक्ट्रोनिक बोली में लॉग–ईन/साईन करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सी.सी.ए. द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उन्हें नया डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हैल्प डेस्क (eproc-cell) 0141–4022688 व ई–मेल eproc@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।
   - (ब) निविदादाताओं को बोली प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट (शुल्क, तकनीकी एवं वित्तीय इत्यादि) में वैबसाईट पर डिजीटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा बोली अमान्य होगी। बोली से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का बोली प्रस्ताव भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
   - (स) इलेक्ट्रोनिक बोली प्रपत्र को अपलोड करने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्र से सम्बन्धित समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं हस्ताक्षरयुक्त प्रति स्कैन यथा शुल्क की छायाप्रतियां, पहचान पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स (निरस्त चैक/पासबुक), अनुभव प्रमाण पत्र एवं गत तीन वर्षों का टर्नओवर, जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति इत्यादि संलग्न कर दी गई है।
     (संलग्न **अनुलग्नक–एफ**)
   - (द) निर्धारित दिनांक तक कोई निविदादाता बोली दस्तावेज इलेक्ट्रोनिक रूप में अपलोड करने में किसी कारण से असफल/विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार यह कार्यालय नहीं होगा।
   - (य) बोली के प्रपत्रों में आवश्यक सभी कॉलमों को नियमानुसार सम्पूर्ण रूप से भरकर ही ऑनलाईन अपलोड किया जाना अत्यावश्यक होगा।

राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

3. बोली दर वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर निर्धारित दिनांक एवं समय तक डाउनलोड/अपलोड करवाई जा सकती है एवं इलैक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड किये गए प्रस्ताव प्रथम चरण में तकनीकी बिड/लिफाफा पर निर्धारित दिनांक एवं समय तक इस कार्यालय में डाउनलोड की जावेगी। तकनीकी बिड के मुल्यांकन में योग्य पाये गये समान प्रकृति के कार्य करने वाली अनुभवी व इच्छुक पंजीकृत फर्मों/कम्पनी को वित्तीय बिड खोलने के सम्बन्ध में पृथक से सूचना दी जाएगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है, तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व स्थान पर सम्बन्धित कार्यवाही की जावेगी।
4. ई–बोली सूचना के क्रम संख्या 3 व क्रम संख्या 4 में क्रमशः दर्शाई गई बोली शुल्क राशि रू. 2,000/– व बोली प्रतिभूति राशि रू. (दो प्रतिशत) 2,45,600/–का डी.डी. (नकद/चैक स्वीकार्य नहीं) **"राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जयपुर"** के पक्ष में व क्र.सं. 5 में दर्शाई गई ई–बोली प्रक्रिया शुल्क राशि रू. 1,000/– का डी.डी. (नकद/चैक स्वीकार्य नहीं) **"मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. जयपुर"** के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य बनवाना होगा। उक्त तीनों डी.डी. की प्रति ऑनलाईन अपलोड करनी होगी। बोलीदाता द्वारा बोली शुल्क, बोली प्रतिभूति शुल्क व ई–बोली प्रक्रिया शुल्क के मूल डी.डी., तथा निविदादाता द्वारा घोषणा (एस.आर. प्रारूप – 11) मय पत्र के साथ निर्धारित दिनांक एवं समय तक इस कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा करवाये जाने आवश्यक है अन्यथा सम्बन्धित निविदादाता के ऑनलाईन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये जावेंगे।
5. निविदादाता को विगत तीन वर्षो में से किसी एक वित्तीय वर्ष में **निविदत्त अनुमानित लागत के 80 प्रतिशत के बराबर** निविदा से सम्बन्धित कार्य करने का सरकारी/अर्द्धसरकारी/राजकीय उपक्रमों/राजकीय संस्थानों/निगमों /अन्य में सप्लाई/कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। इस हेतु कार्य आदेशों/अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होगी, अन्यथा वह तकनीकी/वित्तीय मापदण्ड के आधार पर अयोग्य माना जायेगा व उसके वित्तीय प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके प्रमाण के रूप में सम्बन्धित संस्थानों के अनुभव/कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र साथ ही पिछले तीन वर्षो (वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22) का सी.ए. द्वारा प्रमाणित दस्तावेज (प्रमाण–पत्र) जिसमें इस व्यवसाय से सम्बन्धित आय का उल्लेख हो, संलग्न करना होगा।
6. निविदादाता को नवीनतम कर बकाया नहीं के प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि अथवा गत त्रैमास (अप्रेल, 2022 से जून, 2022 तक) की जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति (GSTR-1/GSTR-3B/Other) संलग्न करनी आवश्यक होगी।
7. यदि कोई साझेदारी फर्म बोली लगाती है तो, बोलीदाता फर्म को बोली लगाते समय रजिस्टर्ड साझेदारी संलेख प्रस्तुत/अपलोड करनी आवश्यक होगी, अन्यथा वह निविदादाता फर्म बोली में भाग नहीं ले सकेगी। व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत बोलियों पर क्रय/निविदा समिति द्वारा विचार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्रय/निविदा समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
8. बोली खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि समस्त बोलियां नहीं खोली जा सकती हैं तो उसके अगले कार्यदिवस को बोलियां खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
9. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पर निविदादाता द्वारा अपनी फर्म का पूर्ण स्पष्ट पता एवं फोन/मोबाइल नम्बर आवश्यक रूप से लिखा जाना चाहिए।
10. बोलीदाता का स्वयं का गोदाम होना आवश्यक है। तकनीकी योग्यता रखने वाली फर्मो द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन आवश्यकता होने पर क्रय/निविदा समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो उस फर्म की तकनीकी निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।
11. यदि निविदादाता सत्यनिष्ठा संहिता (Code of integrity) एवं हित का विरोध (Conflict of interest) सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लंघन करता है या करता हुआ पाया जाता है, तो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 82 के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

12. निर्धारित तिथि को बोली खोलने के उपरान्त/पश्चात् प्रस्तावित दर पर कार्य में असमर्थता या दरों में संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसा होने पर बोली प्रतिभूति राशि जब्त/शास्ति एवं आगामी बोली से वंचित/अयोग्य इत्यादि हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
13. बोली प्रतिभूति राशि जमा कराने की स्थिति में बोली प्रतिभूति राशि का निम्न परिस्थितिओं में पूर्ण या आंशिक रुप से समपहरण/जब्त किया जा सकेगा :—
    - जब निविदादाता द्वारा संविदा के किन्ही निबंधनो ओर शर्तों का उलघंन किया गया हो।
    - जब निविदादाता निविदा खोलने के पश्चात, किन्तु निविदा स्वीकृति से पूर्व निविदा वापिस लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।
    - जब निविदादाता निर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार व आदेश को सम्पादित नहीं करता है।
    - जब दर स्वीकृति पश्चात् निविदादाता सुरक्षा राशि जमा नहीं कराता है।
    - बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण/जब्त करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
14. द्वितीय एवं तृतीय निम्नतम निविदादाताओं की बोली प्रतिभूति राशि सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी करने के एक माह पश्चात् लौटाई जायेगी, शेष निविदादाताओं की बोली प्रतिभूति राशि निविदा स्वीकृति के निर्णय के बाद शीघ्र लौटा दी जायेगी।
15. निविदा केवल उन्हीं फर्मों द्वारा दी जानी चाहिए जो इस क्षेत्र के वास्तविक व्यवसायी हैं, फर्म इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाली होनी चाहिए। निविदादाता किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/राजकीय उपक्रमों/राजकीय संस्थानों/गैर राजकीय संस्थानों में ब्लैक लिस्ट नहीं हो, अतः इस हेतु निविदादाता को एस.आर. प्ररूप–11 (संलग्न) में राशि रू. 100/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
16. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
17. निविदा की शर्तों के अतिरिक्त कोई अन्य शर्तें (शर्तयुक्त/सशर्त निविदा) स्वीकार नहीं होगी। बोलीदाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
18. निर्धारित निविदा प्रपत्र में दरें स्याही अथवा टंकण द्वारा भरी जावे जो सुपाठ्य हो। किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवरराईटिंग नही करें तथा निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर मय मोहर किया जावे।
19. निविदादाता को निविदा संलग्न निर्धारित प्रपत्र में ही ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी। अन्य कोई प्रपत्र स्वीकार नही होगा।
20. निविदादाता द्वारा संलग्न वर्णित दरें/दर–अनुबन्ध दिनांक 31.03.2023 तक अथवा विशेष परिस्थिति में जम्बूरी की तिथियों में परिवर्तन होने पर जम्बूरी अवधि तक के लिए मान्य होगी/किया जायेगा। निविदादाता को उक्त अवधि तक इन दरों पर ही कार्य करना होगा। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर आगे के लिए बढाया जा सकेगा।
21. निविदादाता निविदा अथवा उसके किसी भी सारवान भाग को अन्य किसी व्यक्ति/एजेन्सी को सबलेट नही करेगा।
22. सक्षम अधिकारी को निविदादाता द्वारा दी गई आईटमवाईज दरें अथवा एक मुश्त दरें या दोनों रूप में स्वीकार करने का अधिकार होगा। आंशिक कार्य हेतु निविदा स्वीकार करने/नहीं करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
23. निरीक्षण/परीक्षण के दौरान सेवा/सामग्री/प्रदाय का जो हिस्सा निर्धारित स्तर का नही होगा, उसे रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
24. सक्षम अधिकारी को किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, को स्वीकार करने का अथवा बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा/उसके किसी भी भाग को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाईड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

25. सफल निविदादाता को कार्यादेश प्राप्त हो जाने के 07 दिवस की अवधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (बोली राशि का 2.5 प्रतिशत) जमा करवाकर अनुबन्ध सम्पादित करना होगा, जिसमें बोली प्रतिभूति राशि का समायोजन किया जा सकेगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का डी.डी. **"राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जयपुर"** के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य बनवाना होगा।इस कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः या अंशतः समपहरण किया जा सकेगा।
   - जब निविदादाता द्वारा संविदा के किन्ही निबंधनो ओर शर्तों का उलघंन किया गया हो।
   - जब निविदादाता संतोषप्रद रुप से निधार्रित अवधि में पूर्ण सेवा/सामग्री/प्रदाय करने में असफल रहता है।
   - राशि का समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
26. कार्य सम्पादन प्रतिभूति/सुरक्षा राशि पर इस कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
27. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृत एवं कार्यादेश प्राप्त हो जाने के 07 दिवस की अवधि के भीतर राशि रू. 500/–के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर एस.आर. प्रारुप 17 में एक करार पत्र जमा कराना होगा। करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा इस कार्यालय द्वारा उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपड़त (छांयाप्रति) निविदादाता को निःशुल्क दी जाएगी।
28. घोषणा पत्र व अनुबन्ध पत्र के निष्पादन में देय स्टाम्प–रजिस्ट्री शुल्क एवं जो भी कानूनी व्यय होगा, उन समस्त व्यय की राशि अदा करने का दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
29. निर्धारित अवधि में सेवा/सामग्री/प्रदाय की आपूर्ति नही करने की स्थिति में, सुरक्षा राशि जब्त की जा सकेगी अथवा अन्य व्यवस्था, आवंटित कार्य को बीच में छोडने पर बाजार से उच्च दरों पर कराये जाने पर जो हानि होगी वह निविदादाता की सुरक्षा राशि में से समायोजित की जा सकेगी।
30. यदि निविदा सूचना में अथवा आदेशित मात्रा में, जैसी भी स्थिति हो दर्शित मात्रा से कम या अधिक के आदेश दे दिये जाते हैं, तब भी निविदादाता सेवा/सामग्री/प्रदाय हेतु आबद्ध होगा। निविदादाता मुवावजा हेतु किसी भी दावे का हकदार नही होगा।
31. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की दरें सभी प्रकार के करों सहित अंकित करें।
32. नियमानुसार टी.डी.एस./जी.एस.टी. टी.डी.एस. एवं अन्य कटौती की जायेगी जिसके लिए पैन नम्बर/जी.एस.टी. नम्बर की प्रति निविदा के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।
33. निविदा में वर्णित सेवा/सामग्री/प्रदाय सक्षम अधिकारी अथवा उनके किसी प्रतिनिधि की मांग के अनुसार निर्देशित दिनांक, समय व स्थान पर देना होगा।
34. निविदादाता द्वारा शर्तों के उल्लंघन करने/कार्य सन्तोषजनक न होने की स्थिति में अनुपातिक कटौती के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
35. कार्यादेश/अनुबन्ध में वर्णित कार्य सुचारू व सन्तोषजनक रूप से पूरा न करने पर यदि आवश्यक समझा गया तो कार्य निविदादाता के हर्जे–खर्चे पर अन्य साधन से कार्य करवाया जायेगा तथा यदि इस व्यवस्था पर कोई अतिरिक्त व्यय इस कार्यालय को वहन करना पडा तो वह राशि सफल निविदादाता से वसूली योग्य होगी।
36. **प्री फेब्रीकेट अस्थाई शौचालय एवं स्नानघर (क्रय करने हेतु) आपूर्ति व रखरखाव** सम्बन्धी कार्य के सम्बन्ध में निर्धारित विशिष्ठ शर्तें 'परिशिष्ट–1' जो इन शर्तों के साथ पृथक से संलग्न है, इन शर्तों का भाग होंगी।
37. 18वीं राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जम्बूरी एवं जम्बूरी पूर्व तैयारी शिविरों/गतिविधियों में निविदादाता अथवा उसका प्रतिनिधि सदैव मौके पर आवश्यक रूप से उपस्थिति रहेगा।

राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

38. निविदादाता द्वारा लगाये गये हैल्पर/मजदूरों/श्रमिकों/सहायकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा वह पूर्णतः स्वस्थ व संक्रामक बिमारी रहित होना चाहिए। बाल मजदूरी निषेध रहेगी। निविदादाता द्वारा लगाये गये कार्मिक को साफ–सुथरा रहना होगा तथा वे राज्य सरकार के नियमानुसार परिसर में तम्बाकू, धूम्रपान, मद्यपानएवं किसी प्रकार का नशा आदि भी नहीं करेंगे।
39. वर्तमान में प्रभावी किसी भी राजकीय कानून/नियम/श्रम एवं रोजगार विभाग के समस्त नियमों आदि की पालना का पूर्ण दायित्व भी निविदादाता का होगा। यह कार्यालय इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
40. निविदादाता को राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की भी पालना करनी आवश्यक होगी।
41. कार्य के दौरान किसी भी हैल्पर/मजदूरों/श्रमिकों/सहायकों के साथ कोई आगजनी, चोरी, हानि, नुकसान अन्य दुर्घटना, जान–माल का नुकसान इत्यादि होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित निविदादाता की होगी।
42. सभी विवादों/विधिक कार्यवाही यदि की जानी हो, तो न्यायिक क्षैत्र, जयपुर (राज.) ही रहेगा।
43. **भुगतान** :– निविदादाता को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार गतिविधियों/शिविरों की समाप्ति के पंचम कार्यदिवस तक बिल मय प्रमाणिकरण सहित दो प्रतियों में तैयार कर सम्बन्धित प्रभारी के माध्यम से इस कार्यालय को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। इस बिल का भुगतान सामान्य प्रक्रियानुसार ऑनलाईन/नेफ्ट/रेखांकित चैक द्वारा किया जाएगा।
44. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में सामान्य वित्तीय एवं लेखा निमय खण्ड–द्वितीय में वर्णित एस.आर. प्ररुप – 14, 15, 16, 17, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2012 व 2013, वित्त (जीएण्डटी) विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.12.2020 (हिन्दी अनुवाद दिनांक 15.02.2021) एवं वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 23.12.2020 में दी गई समस्त शर्तें/प्रावधान यथावत लागू होंगे।
45. कोविड–19 महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति में तत्समय जारी निर्देश (SOP) प्रभावी होंगे।

मैंने/हमने उपरोक्त अनुसार वर्णित शर्तों को भली भाँति पढ लिया एवं समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित समस्त शर्तों की पूर्ण पालना के साथ हमारी फर्म द्वारा दी गई दरों पर कार्य करने के लिए सहमत हैं।

स्थान : ....
दिनांक : ....

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

फर्म का नाम ....
फर्म के पत्र व्यवहार का पूरा पता ....
....
....
टेलीफोन नम्बर ....
मोबाईल नम्बर ....

राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

प्री फेब्रीकेट अस्थाई शौचालय एवं स्नानघर (क्रय करने हेतु) आपूर्ति व रखरखाव "विशिष्ट शर्तें"

1. निविदादाता को पूर्व में किए गये राष्ट्रीय स्काउट/गाइड जम्बूरी से संबंधित अथवा इस प्रकार के राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, महोत्सव, मेला इत्यादि जैसे वृहद् कार्यक्रम करवाने का कार्यानुभव व ज्ञान होना चाहिए, को निविदा में प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। इस हेतु निविदादाता को पूर्व में किये गये इन आयोजनों से संबंधित कार्य का कार्यादेश/अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. अनुबन्धकर्ता को जम्बूरी ले–आउट प्लान एवं कार्यादेशानुसार समस्त सामग्री एफ.ओ.आर. जम्बूरी स्थल – ग्राम नीमली ब्राह्मणान, तहसील रोहट, जिला–पाली – 306421 (राजस्थान) में स्थित दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर पर कार्यादेश जारी होने के 15 दिवस की अवधि में 50 प्रतिशत कार्य तथा अगले 15 दिवस की अवधि में शेष 50 प्रतिशत कार्य व्यवस्थित रूप से स्थापित कर सम्बन्धित प्रभारी को संभलवाना होगा। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।
3. अनुबन्धकर्ता को दिनांक 12.01.2023 से सात दिवस की अवधि में प्री फेब्रीकेट अस्थाई शौचालय एवं स्नानघर सम्बन्धित समस्त सामग्री यथा सीमेन्ट प्लेटफार्म व वेस्ट गढ्ढे को विघटित (Dismantle) करना होगा तथा प्री फेब्रीकेट अस्थाई शौचालय एवं स्नानघर एवं इससे सम्बन्धित समस्त सामग्री को साफ करके उपरी ढांचे को इस विभाग के अधिकृत प्राधिकारी को संभलवाना अनिवार्य होगा।
4. अनुबन्धकर्ता कार्य स्थल पर सम्पूर्ण कार्य समय पर पूर्ण कर सुपूर्द करने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा। समस्त सामग्री लगाने व उखाड़ने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, जिसका अलग से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. अनुबन्धकर्ता जम्बूरी एवं जम्बूरी पूर्व तैयारी शिविरों/गतिविधियों (सामग्री स्थापित करने से लेकर दिनांक 11.01.2023 तक) के दौरान प्री फेब्रीकेट अस्थाई शौचालय एवं स्नानघर सम्बन्धी समस्त सामग्री में किसी भी प्रकार की टूट–फूट या लीकेज आदि की स्थिति मे मरम्मत का कार्य अनुबन्धकर्ता को अपने कर्मचारियों से करवाना आवश्यक होगा। इस हेतु अनुबन्धकर्ता को पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध करवाने अनिवार्य होंगे।
6. प्री फेब्रीकेट अस्थाई शौचालय एवं स्नानघर सम्बन्धी समस्त सामग्री गिर जाने, टूट जाने या फट जाने की दशा में पुनः लगाकर देना होगा। जिसका अलग से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. जम्बूरी स्थल पर उक्त कार्य हेतु पानी व विद्युत की मूल लाईन इस विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी तत्पश्चात् मूल लाईन से प्री फेब्रीकेट अस्थाई शौचालय एवं स्नानघर सम्बन्धी समस्त सामग्री में पानी व विद्युत का कनैक्शन अनुबन्धकर्ता को स्वयं के व्यय पर करना होगा।
8. अनुबन्धकर्ता को प्री फेब्रीकेट अस्थाई शौचालय एवं स्नानघर सम्बन्धी समस्त सामग्री फोल्डिंग सिस्टम मॉडल के अनुसार निर्मित/स्थापित करनी होगी तथा कार्य समाप्ति पर उसके उपरी ढ़ांचे को सुरक्षित रूप से इस विभाग को सूपूर्द करना होगा।
9. अनुबन्धकर्ता को कार्य अवधि के दौरान इस विभाग के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर कार्यस्थल पर जारी आवश्यक दिशा–निर्देशों की पालना करनी आवश्यक होगी।
10. निविदा से सम्बन्धित सामग्री निविदादाता को स्वयं जम्बूरी स्थल पर लाकर लगानी होगी तथा कार्यक्रम समाप्ति पर खोलकर निर्देशानुसार सुपुर्द करनी होगी। समस्त सामग्री लगाने व उखाड़ने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, जिसका अलग से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. निविदादाता निविदा से सम्बन्धित वस्तुओं की सुरक्षा स्वयं करेगा, यह विभाग प्राकृतिक आपदा, आगजनी, चोरी, हानि, नुकसान एवं सभी सामान को लाने ले जाने पर टूट–फूट आदि के लिए उत्तरदायी नही होगा।
12. आदेशित कार्य/व्यवस्था को करते समय यदि निविदादाता के किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में दुर्घटना ग्रस्त/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उसके लिए मुआवजा आदि लेने का भार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा। यह कार्यालय इसके लिए किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नहीं होगा।
13. निविदादाता अपने कर्मचारियों के चाल–चलन, चरित्र इत्यादि के सम्बन्ध में स्वयं निविदादाता जिम्मेदार होगा।

राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

14. निविदादाता के कर्मचारियों के ठहरने व भोजन बनाने हेतु स्थान, पानी एवं बिजली की व्यवस्था इस कार्यालय द्वारा निर्धारित स्थल पर की जावेगी। जहां पर निविदादाता को स्वयं का टेन्ट लगाकर अपने कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। जिसकी सफाई की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी। निविदादाता को कचरे के उचित प्रकार से निस्तारण की व्यवस्था भी स्वयं अपने स्तर पर करनी होगी।
15. निविदादाता को यह कार्य शासकीय नियमानुसार, उच्च क्वालिटी एवं राष्ट्रीय मानकों के अनुसार करना होगा तथा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की भी पालना करनी होगी।
16. जम्बूरी स्थल पर प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। अतः इसका विशेष ध्यान रखा जावे।
17. कार्य के दौरान किसी प्रकार की अग्नि दुर्घटना न हो, इस हेतु अग्नि–सुरक्षा यंत्र रखने होंगे। अनाधिकृत व्यक्ति का परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा।
18. विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान किया जायेगा।
19. निविदा से सम्बन्धित सामग्री कटी–फटी तथा पेच (कारी) लगी हुई नहीं होनी चाहिए। समस्त सामग्री अच्छी हालत में साफ सुथरी हो, मैली गन्दी ना हो। खराब सामग्री स्वीकार नहीं होगी।
20. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता को क्रय की जाने वाली समस्त सामग्री का नमूना कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा। वित्तीय निविदा में सफल निविदादाता एल–1 से एल–3 को अपनी सामग्री का निर्देशानुसार प्रस्तुतीकरण देना आवश्यक होगा।
21. निर्देशानुसार निविदादाता को उक्त कार्य हेतु स्वयं के कार्मिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने होंगे जो सामग्री का उपयोग होने के समय तक उपस्थित रहेंगे तथा समुचित रूप से कार्य तैयार करने की स्थिति में रहेंगे।
22. प्री फेब्रीकेट अस्थाई शौचालय एवं स्नानघर एवं इससे सम्बन्धित समस्त सामग्री हेतु छोटे सहायक कार्य जैसे–भूमि समतलीकरण, खड्डे खोदना, जोडना एवं अन्य सहायक कार्य दरों में सम्मिलित होंगे एवं इस प्रकार के कार्यों के लिए पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
23. यदि अनुबन्धकर्ता इस बोली में वर्णित निर्धारित आईटम्स् के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के आईटम्स् सक्षम अधिकारी के निर्देश से लगाता है तो प्रचलित बाजार दर, अन्य विभाग/बोर्ड/कॉरपोरेशन की दर अथवा इस कार्यालय द्वारा निर्धारित दर उक्त में से जो भी कम हो देय होगी। इस प्रकार के आईटम्स् की दर निर्धारण के सम्बन्ध में राज्य मुख्यायुक्त द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
24. गैर अनुमोदित दरों के किये गये कार्य किस प्राधिकारी के निर्देशानुसार किये गये है इसकी सूचना कार्य सम्पन्न होने के तीन दिवस में अनुबन्धकर्ता द्वारा लिखित में इस कार्यालय को प्रेषित करनी आवश्यक होगी, जिसमें निर्देशित किये जाने वाले प्राधिकारी का नाम एवं उनके निर्देशों पर किये गये कार्यों का प्रमाणितशुदा विवरण होगा। जिसका सत्यापन सम्बन्धित प्राधिकारी से करवाया जायेगा।
25. दर संविदा हेतु किसी बोलीदाता द्वारा अस्पष्ट एवं अत्यन्त अव्यवहारिक दरें दी जाती है तो उसकी बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
26. अत्यन्त अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की दशा में यह आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम दर वाले बोलीदाताओं की दरों को स्वीकार किया जावे, उपापन समिति दरों औचित्यता के आधार पर न्यूनतम दर के अतिरिक्त बोलीदाता की दरें भी स्वीकार कर सकती है।

स्थान : ....
दिनांक : ....

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

फर्म का नाम ....
फर्म के पत्र व्यवहार का पूरा पता ....
....
....
टेलीफोन नम्बर ....

Regalu
राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

"निविदादाता द्वारा घोषणा"

उपरोक्त समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि राज्य सचिव, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय, जयपुर का निर्णय हमारे लिये मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में बिड में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/तकनीकी अनुभव व तकनीकी कर्मचारी आदि उपलब्ध है। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायतशासी संस्थान/निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतिक स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (मयसील) कर दिये है।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/ मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट हूँ/हैं।

यदि ये घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

नोट :–

1. यह घोषणा निविदादाताओं द्वारा तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।
2. इस घोषणा को राशि रू. 100/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

स्थान : ....
दिनांक : ....

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

फर्म का नाम ....
फर्म के पत्र व्यवहार का पूरा पता ....
....
....
टेलीफोन नम्बर ....
मोबाईल नम्बर ....

Pclein
राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) Disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

(a) Have controlling partners/shareholders in common; or

(b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or '

(c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or

(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

(e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or

(f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Works or services that are the subject of the Bid; or

(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Bidder Signature
With Stamp

राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of ....in response to their Notice inviting Bids No .... Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payble to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder
Name :
Designation :
Address :

Bidder Signature
With Stamp

राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **State Secretary, RSBS&G,Jaipur**
The designation and address of the Second Appellate Authority is **State Chief Commissioner, RSBS&G, Jaipur**

1. **Filing an appeal**
   if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financialbids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3. If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

4. **Appeals not to lie in certain cases**

   No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-
   (a) Determination of need of procurement;
   (b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process;
   (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
   (d) Cancellation of a procurement process;
   (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

5. **Form of Appeals**

   (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
   (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,
   (c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or though registered post orauthorised representative.

6. **Fee for filing Appeal**

   (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
   (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

7. **Procedure for disposal of Appeal**

(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

Bidder Signature
With Stamp

राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

(a). If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

(b). It there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

(c). If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(a) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(b) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(c) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Bidder Signature
With Stamp

राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

अनुलग्नक – एफ

(चैक लिस्ट) : संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

क्र. सं.	विवरण	संलग्न किये गये (हाँ/नहीं)	पृष्ठ संख्या
1.	सम्पूर्ण बोली प्रपत्र मय शर्तों के (निविदा दस्तावेज) हस्ताक्षर कर संलग्न है।		
2.	बोली शुल्क राशि रू. **2,000/–** का बैंक ड्राफ्ट संलग्न है।		
3.	बोली प्रतिभूति राशि रू. **2,45,600/–** का बैंक ड्राफ्ट संलग्न है।		
4.	ई–बोली प्रक्रिया शुल्क (RISL) राशि रू. **1,000/–** बैंक ड्राफ्ट संलग्न है।		
5.	फर्म के रजिस्ट्रेशन नम्बर की हस्ताक्षरित छांयाप्रति संलग्न है।		
6.	आयकर खाता संख्या(पैन नम्बर) की हस्ताक्षरित छांयाप्रति संलग्न है।		
7.	जी.एस.टी.आई.एन. पंजीयन क्रमांक की हस्ताक्षरित छांयाप्रति संलग्न है।		
8.	बिडर के बैंक खाते का विवरण (निरस्त चैक/पासबुक की छांयाप्रति) हस्ताक्षरित छांयाप्रति संलग्न है।		
9.	विनिर्माता/वास्तविक डीलर/अधिकृत विक्रेता आदि का घोषणा प्रपत्र एस.आर. प्रारूप–11 में राशि रू. **100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प** पर संलग्न है।		
10.	निविदा से सम्बन्धित अनुभव प्रमाण–पत्रों (कार्यानुभव) की हस्ताक्षरित छांयाप्रति संलग्न है।		
11.	निविदा से सम्बन्धित विगत तीन वित्तीय वर्षों 2019–20, 2020–21 व 2021–22 में से किसी एक वित्तीय वर्ष में निविदत्त अनुमानित लागत के 80 प्रतिशत के बराबर कार्य करने का सी.ए. द्वारा प्रमाणित टर्नओवर दस्तावेज (प्रमाण–पत्र) मय UDIN की प्रतिसंलग्न है।		
12.	नवीनतम कर बकाया नहीं हेतु अन्तिम त्रैमास (अप्रेल, 2022 से जून, 2022 तक) की जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति (GSTR-1/GSTR-3B/Other) की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है।		
13.	अन्य प्रपत्र जो बोलीदाता संलग्न करना चाहते है।		

स्थान : ....

दिनांक : ....

हस्ताक्षर निविदादाता

मय मोहर

फर्म का नाम ....

फर्म के पत्र व्यवहार का पूरा पता ....

....

....

टेलीफोन नम्बर ....

मोबाईल नम्बर ....

Pekin
राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड

राज्य मुख्यालय

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर – 302015 (राज.)

टेलीफोन नं. – 0141–2706830, 2941098 ई-मेल –rajscoutguide@yahoo.com

अनुमानित लागत राशि रु. 1,22,80,000/–
ई–बोली शुल्क राशि रु. 2,000/–
बोली प्रतिभूति राशि रू. (दो प्रतिशत) 2,45,600/–
ई–बोली प्रक्रिया शुल्क राशि रु. 1,000/–

–:: निविदा प्रपत्र – ब (वित्तीय निविदा) ::–

भारत स्काउट व गाइड, राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली एवं राज्य मुख्यालय, जयपुर के तत्वावधान में ग्राम नीमली ब्राह्मणान, तहसील रोहट, जिला–पाली – 306421 (राजस्थान) में स्थित दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर पर होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जम्बूरी एवं जम्बूरी पूर्व तैयारी शिविरों/गतिविधियों में **प्री फेब्रीकेट अस्थाई शौचालय एवं स्नानघर (क्रय करने हेतु)** आपूर्ति व रखरखाव हेतु निविदा :–

क्र. सं.	सामग्री/कार्य का विवरण	आवश्यक मात्रा	दर अंको में समस्त करों सहित	
			प्रति नग	कुल राशि
1	(राष्ट्रीय मुख्यालय स्टाफ/राज्य मुख्यालय स्टाफ व ओवरसीज स्काउट/गाइड के लिए) **प्री फेब्रीकेट अस्थाई शौचालय तैयार** कर निर्देशानुसार जम्बूरी स्थल पर लगाना, उपयोग के बाद अस्थाई शौचालय एवं स्नानघर के ऊपरी ढांचे को सुरक्षित रखते हुए इस कार्यालय को सूपुर्द करना तथा सीमेन्ट प्लेटफार्म व वेस्ट के गढ्ढे को विघटित (Dismantle) करने के लिए दरें **जिसमें इण्डियन टायलेट में चिनी मिट्टी डब्ल्यू सी व पानी का नल लगाना होगा साथ ही प्रत्येक शौचालय में प्लास्टिक की 5 लीटर पानी की बाल्टी व ½ लीटर पानी के मग्गा सहित दर सम्मिलित कर देनी होगी।** **(अ) प्री फैब्रिकेटड** टॉयलेट (शौचालय) नाप 01mt X 0.955mt X 2.1mt नींव व ईंट व सीमेन्ट निर्मित चबुतरा मय सी.सी. फ्लोरिंग जिसके उपर चिनी मिट्टी डब्लूसी लगेगी जो 04 इंच का पाईप 2 मीटर लम्बाई से फिटिंग होकर वेस्ट पाइप में जोड़ना होगा व 06 इंच पाइप के कनेक्शन को 10 फीट गहराई तथा 5 फिट चौडाई 5 फीट लम्बाई का ढका हुआ गढ्ढा तैयार कर मिलाना होगा। प्रत्येक ब्लॉक में 2–2 वेस्टर्न शौचालय बनाने होंगे। शौचालय के पीछे वेस्ट के लिए लम्बाई 5 फिट गुणा चौडाई 5 फिट, गहराई 10 फिट होगी तथा गढ्ढा ढका हुआ होगा तथा सुरक्षा के लिए चारों तरफ कनात लगाई जायेगी। **(ब) दिवार** – दीवारें सेन्डवीच पेनल से बनी होगी। सेन्डवीच पेनल PUF के दोनों तरफ 0.3mm मोटी प्री कोटेट स्टील शीट से बने होगी। PUF Foam होगा पेनल की कुल मोटाई 20mm से कम नहीं हो। स्टील शीट का रंग वाईट/ब्लू हो।	125 शौचालय		

राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट ...
राज्य मुख्यालय, जयपुर

	(स) दीवार का जुडाव एवं मजबूती – दीवार के सभी कोने बोटम फ्रेम से जुड़े हुए हो। आधार का फ्रेम नी–लेन का उपयोग करके चबुतरे के साथ बनाया जायेगा, जिसका आधार न्यूनतम 1.5mm मोटा होना चाहिए। M.S. Folded Section with powder coated. **(द) छत** का निर्माण रूफ क्लैडिंग 0.5mm मोटी पीपीजीआई प्रोफाइल शीट से बनाई जावें। शीट का रंग वाईट/ब्लू हो। **(य) दरवाजा** – दरवाजे के चौखट को विशेष ई.ए.एस. 1.5mm मोटा होना चाहिए। M.S. Folded Section with powder coated बनाया जावें, दरवाजे का शटर PUF पैनल से बना हो, दरवाजे का शटर दरवाजे के फ्रेम के साथ तीन कब्जों के साथ हो। दरवाजे पर हैन्डल, कुन्दा व चीटकनी लगी हो। दरवाजे की मोटाई 2mm होगी। **(र) वेन्टींलेशन (Ventilation)** – शौचालय में वायु समातन के लिए दिवार एवं दरवाजे में शौचालय के तीन किनारों पर पर्याप्त खुला स्थान रखा जावे। **(ल) बिजली (Light)** – शौचालय में बिजली का कनैक्शन देने हेतु बल्ब/सीएफएल लाइट पांईट स्वीच सहित बना हो व लगा हो। **(व) पानी (Water)** – शौचालयों पर पानी की टंकी एवं शौचालय में पानी पहुँच सुनिश्चित हो। प्रत्येक शौचालय ब्लॉक के उपर 1000 लीटर पानी की क्षमता की टंकी रखनी होगी तथा नल कनैक्शन देना होगा। टंकी के फ्रेम, फोल्डिंग सिस्टम में होगें।			
2	वेस्टर्न टॉयलेट में यूरोपियन डब्ल्यू सी, पानी का नल, टायलेट पेपर, जेट आदि की राशि सम्मिलित कर दर देनी होगी। शेष बिन्दू सं 1 के अनुसार तैयार कर देने होंगे। VIP शौचालय – 175 वेस्टर्न	175 वेस्टर्न टायलेट		
3	(राष्ट्रीय मुख्यालय स्टाफ/राज्य मुख्यालय स्टाफ व ओवरसीज स्काउट/गाइड के लिए) **प्री फेब्रीकेट अस्थाई स्नानघर तैयार** कर उपलब्ध कराने स्नानघर की नाप 01mt X 0.955mt X 2.1mt नीव व ईंट व सीमेन्ट निर्मित चबुतरा मय सी.सी. फ्लोरिंग जिसके उपर स्नानघर ब्लॉक वाईज मय रखरखाव सहित एवं SINGAL-SINGAL बनाये जायेंगे एवं अस्थाई स्नानघर के ऊपरी ढांचे को सुरक्षित रखते हुए सिमेन्ट प्लेटफार्म एवं वेस्ट गढ्ढा बनाना होगा। वेस्ट पानी निकासी हेतु 06 इंच पाइप के कनेक्शन को 10 फीट गहराई तथा 5 फिट चौडाई 5 फीट लम्बाई का ढंका हुआ गढ्ढा तैयार कर मिलाना होगा। वेस्ट के गढ्ढे को विघटित (Dismantle) करने की दरें सम्मिलित होंगी साथ ही प्रत्येक शौचालय में प्लास्टिक की 10 लीटर पानी की बाल्टी व ½ लीटर पानी का मग्गा सहित दर सम्मिलित कर देनी होगी।	250 स्नानघर		

राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

	(अ) प्री फैब्रिकेटड अस्थाई स्नानघर नाप 01mt X 0.955mt X 2.1 नींव व ईट व सीमेन्ट निर्मित चबुतरा मय सी.सी. फ्लोरिंग एवं ओवरसीज स्काउट्स, गाइड्स एवं NHQ, SHQ स्टाफ के कुल **75 बाथरूम** में शॉवर लगेगें। **जिसमें नीचे की फर्श सिमेन्ट का चिकना फर्श तैयार करना होगा। नहाने के लिए शॉवर एवं नल लगा हुआ होगा।** पानी निकासी हेतु 04 इंच का पाईप 2 मीटर लम्बाई से फिटिंग होकर 06 इंच वेस्ट के लिए 10 फिट गहराई तथा 5 फिट चौडाई का गढ्ढा तैयार कर मिलाना होगा जो ढका हुआ होगा एवं चारों तरफ सुरक्षा हेतु कनात लगाई जावे। **(ब) दिवारे** सेन्डवीच पेनल से बनी होगी। सेन्डवीच पेनल PUF के दोनों तरफ 0.3mm मोटी प्री कोटेट स्टील शीट से बने होगी। PUF Foam होगा पेनल की कुल मोटाई 20mm से कम नहीं हो। स्टील शीट का रंग वाईट/ब्लू हो। **(स) दीवार** का जुडाव एवं मजबूती – दीवार के सभी कोने बोटम फ्रेम से जुडे हुए हो। आधार का फ्रेम नी–लेन का उपयोग करके चबुतरे के साथ बनाया जायेगा, जिसका अनुभाग न्यूनतम 1.5mm मोटा होना चाहिए। M.S. Folded Section with powder coated. **(द) छत** का निर्माण रूफ क्लैडिंग 0.5mm मोटी पीपीजीआई प्रोफाइल शीट से बनाई जावे। शीट का रंग वाईट/ब्लू हो। **(य)** दरवाजे के चौखट को विशेष ई.ए.एस. 1.5mm मोटा होना चाहिए। M.S. Folded Section with powder coated बनाया जावें, दरवाजे का शटर PUF पैनल से बना हो, दरवाजे का शटर दरवाजे के फ्रेम के साथ तीन्न कब्जों के साथ हो। दरवाजे पर हेन्डल, कुन्दा और चीटकणी लगी हो। दरवाजे की मोटाई 2mm होगी। **(र) वेन्टींलेशन (Ventilation)** – शौचालय में वायु समातन के लिए दिवार एवं दरवाजे में शौचालय के तीन किनारों पर पर्याप्त खुला स्थान रखा जावें। **(ल) बिजली (Light)** – शौचालय में बिजली का कनेक्शन देने हेतु बल्ब/सीफएल लाइट पाईट स्वीच सहित बना हो व लगा हो। थ्री पीन पॉवर सॉकेट भी लगावें। **(व) पानी (Water)** – स्नानघर ब्लॉक पर पानी की टंकी होगी जिससे स्नानघर में पानी की पहुँच सुनिश्चित हो। प्रत्येक 10 स्नानघर ब्लॉक के उपर 1000 लीटर पानी की क्षमता की टंकी तथा 15 स्नानघर ब्लॉक के उपर 1000–1000 लिटर की दो टंकी रखनी होगी तथा नल कनैक्शन व शॉवर देना होगा। टंकी के फ्रेम फोल्डिंग सिस्टम में होगें।			

राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर

नोट :– प्रस्तावित दर eproc पोर्टल पर ऑनलाईन इन्द्राज करें।

मैंने/हमने निविदा की समस्त शर्तें पढ ली है और मैं/हम इन्हें मानने के लिए बाध्य हैं, मैं/हम उपरोक्तानुसार निविदा हेतु दी गई दरों पर मेरी/हमारी फर्म द्वारा कार्य करने को तैयार/सहमत हैं। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी।

स्थान : ....

दिनांक : ....

हस्ताक्षर निविदादाता

मय मोहर

फर्म का नाम ....

फर्म के पत्र व्यवहार का पूरा पता ....

....

....

टेलीफोन नम्बर ....

मोबाईल नम्बर ....

राज्य सचिव
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
राज्य मुख्यालय, जयपुर